Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

➢ सवाई माधोपुर में जिला उधोग केन्द्र, के वरिष्ठ सहायक सूर्यप्रकाश नामा 25,000/- रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 01 जनवरी 2026, गुरूवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी सवाई माधोपुर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक को परिवादी से 25,000/- रुपये** रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि एसीबी चौकी सवाई माधोपुर को एक शिकायत इस आशय कि मिली कि परिवादी से उसके पिताजी व उसके भाईयो के नाम जिला उधोग केन्द्र सवाई माधोपुर से डॉ भीमराव अम्बेडकर दलित प्रोत्साहन स्कीम के तहत तीनो दुकानों की सब्सिडी व ब्याज अनुदान राशि डालने की एवज में तीस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। दिनांक 24.12.2025 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो रिश्वत मांग सत्यापन में सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक ने परिवादी से सब्सिडी व ब्याज अनुदान राशि डालने की एवज में तीस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 25,000/- रूपये लेने पर सहमत हुआ।

जिस पर एसीबी भरतपुर रेंज के **महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरविजन में एसीबी सवाई माधोपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञान सिंह चौधरी** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक को परिवादी से 25,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

ए.सी.बी. की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।